

न्यायालय:- व्यवहार न्यायाधीश वर्ग- 01 एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय,
चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103004172012

दांडिक प्रकरण क.-13/12

संस्थापित दिनांक-02.03.12

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर। <div>.....अभियोजन</div>	
विरुद्ध	
01-रामेश्वर पुत्र खिम्मा अहिरवार उम्र 19 साल निवासी गोराकला। <div>.....आरोपी</div>	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:- श्री योगेंद्र जैन अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 19.07.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 354, 506 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले की फरियादी पार्वतीबाई ने दिनांक 17.02.12 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को वह अपने खेत से घास का गठठा लेकर करीब 7 बजे अपने घर अकेली आ रही थी जैसे ही वह डलई के बब्बा की पुलिया के पास आई तो पीछे से घास पकड़कर रामेश्वर ने उसे पटक दिया और बुरा काम करने की नीयत से उसकी पीछे से क्वारी भर ली तथा उसे जमीन पर पटक दिया, वह चिल्लाई तो कलुआ और किसना आ गए जिन्हें देखकर रामेश्वर भाग गया और कह रहा था कि किसी को बताया या रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देगा। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 62/12 के अंतर्गत भादवि की धारा 354, 506 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 354, 190 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 09.02.12 को शाम 07.00 बजे डलई के बब्बा के पास पुलिया ग्राम गोराकला में फरियादिया पार्वतीबाई की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया तथा लोक सेवक से संरक्षा हेतु रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01, किशनलाल, अ.सा. 02 पार्वतीबाई की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 02 पार्वतीबाई ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानती है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को उसकी आरोपी से कहासुनी हो गई थी और धक्का मुक्की हो गई थी जिसके संबंध में उसने अपने ससुर एवं पति के साथ आरोपी के विरुद्ध प्रपी 02 की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी ने उसे बुरी नीयत से पकड़ लिया था। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन प्रपी 04 देने से इंकार किया है। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसने छेड़छाड़ करने के संबंध में अपने पति को बातें बताई थीं। अ.सा. 01 किशनलाल पक्षद्रोही हो गया है। उक्त साक्षी के अनुसार उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। उसके अनुसार मात्र झगडा हुआ था और कुछ नहीं हुआ था। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि एक भी साक्षी ने अपने कथनों में यह नहीं बताया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा फरियादी की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया गया और न ही उसे रिपोर्ट करने से रोकने के लिए जान से मारने की धमकी दी गई।

08— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 354, 190 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

09— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

10— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

11— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा

428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
व्य० न्याया० वर्ग-01 एवं न्यायाधिकारी
ग्राम न्यायालय, चंदेरी

(जफर इकबाल)
व्य० न्याया० वर्ग-01 एवं न्यायाधिकारी
ग्राम न्यायालय, चंदेरी